



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

पंजीकृत डाक से, पावती सहित

क्रमांक सं. 4597/आरटीआई/प्र.अ.11/2016-17

22 सितंबर, 2016

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी  
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / बैंक)  
प्रथम अपील क्र.11/2016-17**

**अपीलार्थी : श्रीमती अनुकृति शर्मा, पत्नि श्री शैलेन्द्र शर्मा,  
11/125 कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर 302020, राजस्थान**

**निर्णय**

**प्रस्तावना :**

श्रीमती अनुकृति शर्मा, अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र जो दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा शैलेन्द्र शर्मा पुत्र श्री विजयपाल शर्मा, प्रबंधक, सिडबी बैंक, गांधी धाम, गुजरात से सम्बंधित बेसिक पे एवं कुल मासिक वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के बारे में जानना चाहा था। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा 05 अगस्त, 2016 के आदेश सं. 1924 द्वारा उक्त आवेदन पत्र का निस्तारण किया गया। उत्तर से संतुष्ट न होने की दशा में अपीलार्थी ने दिनांक 12 सितंबर, 2016 की यह अपील प्रस्तुत की है जो अद्योहस्ताक्षरी को 22 सितंबर, 2016 को प्राप्त हुई है।


मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 05 अगस्त, 2016 के आदेश सं. 1924, एवं अपील का भलीभाँति अवलोकन किया है। मैंने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय द्वारा प्रदान जानकारी का भी अवलोकन किया है जो स्वयं स्पष्ट है।

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

**निर्णय :**

मेरे विचार से केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का दिनांक 05 अगस्त, 2016 का आदेश सं.1924 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नियमानुसार सही है। इस प्रकार की व्यक्तिगत सूचना का जनहित में नहीं होने का निर्णय नियमानुसार है। अतः यह अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जाए।



[शैलेन्द्र महलवार]

मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी